मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि.
16, ए, सेडमेप भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल।

प्रपत्र–अ

निविदा सूचना क्रमांक **MPTRIFAC/AMC/ 2017/199** दिनांक 11.04.2017

–: मासिक किराये पर वाहन अनुबंधित करने के लिये निविदा :–

1.	निविदाकर्ता का नाम	:	....
2.	पता :	:	....
			....
			....
3.	टेलीफोन एवं मोबाइल नंबर	:	टेलीफोन..
		:	मोबाइल ....
4.	संपर्क व्यक्ति का नाम एवं पता	:	....
			....
			....
		:	टेलीफोन ....
		:	मोबाइल ....
5.	निविदा प्रपत्र मूल्य	:	रू.............. रसीद क्र............................
6.	प्रतिभूति राशि	:	रू ....बैंक ड्राफ्ट क्र...............
			दिनांक........................
			बैंक का नाम...

स्थान :	हस्ताक्षर	:	....
दिनांकः	नाम	:	....
	पता	:	....
			....
			....

संस्था का नाम

संस्था की सील

SAMPLE

मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि.

16, ए, सेडमेप भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल।

<u>प्रपत्र–अ</u>

:: मासिक किराये पर वाहन अनुबंधित करने के लिये निविदा ::

मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि0 कार्यालय हेतु मासिक किराये पर वाहन अनुबंधित करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थाओं से निविदा आमंत्रित की जाती है । निविदा प्रपत्र एवं विस्तृत शर्ते दिनांक **22.04.2017** तक कार्यालयीन समय में (अवकाश के दिनों को छोड़कर) कार्यालय से रूपये 500/– नगद जमा कर (जिसकी वापसी नहीं होगी) प्राप्त किये जा सकते हैं। यह अभिलेख ट्रायफेक की वेबसाईट **www.mptrifac.org** पर भी जानकारी हेतु उपलब्ध है। निविदाएँ दिनांक **28.04.2017** तक (कार्यालयीन समय में) डाक द्वारा प्राप्त की जायेंगी प्राप्त निविदायें आगामी कार्य दिवस में उपस्थित निविदाकर्ताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों (अथॉरिटी लेटर होने पर) के समक्ष खोली जायेंगी।

शर्ते :–

01. निविदा के साथ किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी किये गये रूपये 25,000.00 का बैंक ड्राफ्ट जो कि 'प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि., भोपाल' के नाम से देय हो अथवा रूपये 25,000.00 की किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी जो कि कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए वैध हो, प्रतिभूति राशि के रूप में प्रस्तुत करना होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

02. संबंधित कार्य का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है एवं निविदाकर्ता द्वारा किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय में कम से कम 15 वाहन अनुबंधित होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

03. निविदायें रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही प्राप्त की जायेगी तथा निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। डाक द्वारा विलम्ब से प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा, न ही कार्यालय इसके लिए उत्तरदायी होगा।

04. निविदाकर्ता को आयकर रजिस्ट्रेशन (प्रोपराइटर/फर्म का), सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन (लागू होने की स्थिति में), वाणिज्यिक कर पंजीयन (लागू होने की स्थिति में) तथा नगर निगम द्वारा जारी स्थापना के प्रमाण पत्र की प्रति निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगी। शासन के नियमानुसार किसी प्रमाण पत्र/पंजीयन इत्यादि दस्तावेज की यदि भविष्य में आवश्यकता हो तो उपलब्ध कराना होगा ।

SAMPLE

5. दी गई दरों में सभी प्रकार के कर, ड्यूटी आदि शामिल करना होगा। यदि कोई टेक्स इत्यादि देय हो तो उसका स्पष्ट उल्लेख करें ।

6. नियमानुसार स्त्रोत पर देय करों जैसे – आयकर/सर्विस टेक्स इत्यादी की सभी भुगतानों से कटोत्री की जावेगी।

7. प्राप्त दरों की समयावधि एक वर्ष होगी जो कि आपसी सहमति के आधार पर बढ़ाई जा सकेगी।

8. निविदाओं में भण्डारक्रय नियम/कर इत्यादि में परिवर्तन की स्थिति में समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित नीति मान्य होगी।

9. निविदाकर्ता को निविदा निम्नानुसार 03 लिफाफों में प्रस्तुत करना होगा :–

अ. लिफाफा क्रमांक एक में निम्नखित दस्तावेज रखे जायेंगे :–

निविदाकर्ता के बारे में निर्धारित प्रपत्र में जानकारी (प्रपत्र–अ) ।

1. प्रतिभूति राशि का बैंकड्राफ्ट/बैंक गारंटी ।

ब. लिफाफा क्रमांक दो में निम्नलिखित दस्तावेज रखे जायेंगे :–

1. शासकीय/अर्द्धशासकीय/प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा जारी कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति।
2. आयकर/वाणिज्यिक कर/सर्विस टैक्स संबंधी प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति।
3. नगर निगम द्वारा जारी स्थापना के प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति।

स. लिफाफा क्रमांक तीन में निम्नलिखित दस्तावेज रखे जायेंगे :–

1. निर्धारित प्रपत्र (ब) में प्रस्तावित दरों की जानकारी ।

* लिफाफा क्रमांक–1, लिफाफा क्रमांक–2 एवं लिफाफा क्रमांक–3 को लिफाफा क्र. स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए (तीनों लिफाफो को) एक बड़े लिफाफे में बन्द कर/सील कर उसके ऊपर स्पष्ट रूप से ''_**मासिक किराये पर वाहन अनुबंधित करने के लिये निविदा** '' अंकित कर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय के पते पर भेजना होगा।

10. निविदाएँ खोलने के दिन तीनों लिफाफे क्रमबद्ध खोले जावेगे, यदि खोले गए लिफाफे में निविदा शर्तों में उल्लेखित दस्तावेज नहीं पाए जाते हैं तो उस निविदाकर्ता का आगामी लिफाफा नहीं खोला जायेगा एवं निविदा प्रपत्र अमान्य कर दिया जावेगा।

— 3 —

11. दरों के अनुमोदन के पश्चात्, निविदाकर्ताओं को आदेश दिया जायेगा, उन्हें आदेश के अनुसार निर्धारित समय सीमा में वाहन उपलब्ध कराना होगा। इस संबंध में निविदाकर्ता द्वारा एम.पी. ट्रायफेक के साथ निर्धारित प्रारूप पर अनुबंध नियमानुसार निष्पादित किया जाएगा। कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करने पर प्रतिभूति राशि जप्त करली जायेगी।

12. निम्न श्रेणी के वाहनों हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती है –
    1. Swift Dizire AC
    2. इंडिगो सी.एस. ए सी. श्रेणी के वाहन
    3. इंडिका ए सी श्रेणी के वाहन
    4. मारूति वेन

13. वाहनों की दरें निम्न आधार पर प्रस्तुत करना होगी –

(i) दरें प्रतिमाह 1500 कि. मीटर हेतु प्रस्तुत करें।

(ii) अतिरिक्त किलोमीटर की दर।

(iii) दरें समस्त देय कर सहित प्रस्तुत करनी होगी।

(iv) वाहन कार्मशियल/टेक्सी कोटे का होना आवश्यक है।

(v) वाहन का माडल वर्ष 2016 से पूर्व का नहीं होना चाहिये। माडल 2017 को प्राथमिकता दी जावेगी।

(vi) वाहन पूरे समय (अर्थात 24 घंटे) निगम के अधिपत्य में रखना होगा।

(vii) वाहन में खराबी होने अथवा अन्य किन्हीं कारणों से उपलब्ध न कराने की स्थिति में उसी श्रेणी का अन्य वाहन उपलब्ध कराना होगा, अन्यथा प्रति दिवस रूपये 1000.00 की दर से कटौत्री की जावेगी। वाहन में ईंधन अथवा ड्राइवर की अनुपस्थिती भी वाहन की अनुपलब्धता मानी जावेगी।

(viii) वाहन की यात्रा वाहन को उपयोग करने वाले अधिकारी द्वारा सत्यापित की जावेगी जिसके लिये वाहन में लॉग बुक रखना अनिवार्य होगा।

(ix) वाहन का माइलोमीटर चालू हालत में तथा सही रखना अनिवार्य होगा। यदि माइलोमीटर गलत/त्रुटिपूर्ण पाया गया तो अतिरिक्त माइलेज की राशि का दुगना निविदाकर्ता के देयक से वसूल किया जावेगा। साथ ही इसके आधार पर इसे अवांछनीय कृत्य मानते हुये अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

(x) वाहन की मरम्मत तथा शासकीय करों आदि के व्यय निविदाकर्ता को स्वयं वहन करना होगा एवं निविदाकर्ता अथवा वाहन चालक द्वारा मरम्मत या अन्य कार्य के लिये वाहन ले जाये जाने पर की गई अशासकीय यात्रा का भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया जावेगा।

(xi) वाहन के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना या क्षति के लिये निगम जिम्मेदार नहीं रहेगा, उसके लिये निविदाकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।

SAMPLE

— 4 —

(xii) प्रवास के दौरान मार्ग में वाहन से संबंधित कोई असुविधा होने पर निविदाकर्ता अपनी व्यवस्था एवं स्वयं के व्यय से अधिकारी को गंतव्य तक पहुंचाने एवं लाने हेतु उत्तरदायी होगा।

(xiii) वाहन चालक के पास वैद्य कामर्शियल ड्राइविंग लायसेन्स होना चाहिये तथा उसका आचरण/व्यवहार सामान्यतः अच्छा होना चाहिये। वाहन चालक के आचरण अथवा व्यवहार के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर निविदाकर्ता को तत्काल वाहन चालक बदलकर देना होगा। इस प्रकार होने वाली असुविधा को अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा और इसके पर आधार अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

14. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि. के प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।

15. इस मामले में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि. के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा । न्यायिक क्षेत्र भोपाल रहेगा।

मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)

SAMPLE

मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि.

16, ए, सेडमेप भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल।

<u>प्रपत्र–ब</u>

निविदा सूचना क्रमांक **MPTRIFAC/AMC/ 2017/199** दिनांक 11.04.2017

<u>वाहन मासिक आधार पर किराये पर लेने हेतु प्रस्तावित दरें</u>

क्र.	वाहन का प्रकार	मासिक किराया प्रति 1500 कि.मी. हेतु	अतिरिक्त कि.मी. दर (प्रति कि.मी.)	रात्रि विश्राम दर
1.	Swift Dizire AC			
2.	इंडिगो सी.एस.ए सी श्रेणी के वाहन			
3.	इंडिका एसी श्रेणी के वाहन			
4.	मारूति वेन			

हस्ताक्षर

दिनांक

SAMPLE

संस्था की सील एवं नाम

SAMPLE